रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 760] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 760] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 988(अ)—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 861 (अ), तारीख 01.04.2013 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 0.000 कि.मी. से 154.141 कि.मी. (हरियाणा/राजस्थान सीमा से सालासर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स सालासर हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 16वां तल, टावर–ए, बिल्डिंग नं. 5, साइबर टैरेस, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव (हरियाणा)–122002 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया है) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण IV के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर सार्वजनिक–निजी–भागदारी के जरिए, राजस्थान राज्य में रा.रा. 65 के 0.000 कि.मी. से 154.141 कि. मी. तक राजस्थान सीमा–फतेहपुर–सालासर सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) की क्षमता में वृद्धि करके बाद में चार लेन का बनाने का प्रावधान सहित (नियत तारीख की 10वीं वर्षगाठ से पहले) का पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन में विकास करने हेतु 19.10.2012 को प्रस्तुत की गई बोली के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है);

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जो सा.का.नि. 838(अ), तारीख 05 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित किए गए थे और जिनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, तथा सा.का.नि. 1756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011 द्वारा संशोधन किए थे, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 131.891 कि.मी. हेतु पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के खण्ड के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर" संदर्भित

किया गया है) (निवल सड़क खण्ड के लिए और पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के बाइपास के लिए क्रमशः 60% और 90% और चार लेन का बनाए जाने के पश्चात् निवल सड़क खण्ड तथा बाइपास के लिए 100% और 150%) तथा नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर बाइपासों, जिसमें से प्रत्येक की लागत दस करोड़ रुपए या अधिक है, की कुल लम्बाई 22.250 कि.मी. के लिए आधार दर के डेढ़ गुना की दर से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से और प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर अथवा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर जो भी बाद में हो, करार में यथा विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	**चार या अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड के लिए आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिसपर शुल्क संदेय है अवस्था–I (पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन का पूरा कर लिए जाने के पश्चात्) (पैरा 8 के अनुसार)	दर जिसपर शुल्क संदेय है अवस्था–II (चार लेन का पूरा कर लिए जाने के पश्चात्) (पैरा 8 के अनुसार)
8.700 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 109.250 कि.मी.) (चूरू जिले में लसेडी गांव के पास)	48.400 (राजगढ़ बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
69.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 48.600 कि.मी.) (चूरू जिले में धाधर गांव के पास)	43.219 (चूरू बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
144.500 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज मिसिंग लिंक) (चूरू जिले में सोभासर गांव के पास)	40.272	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागतवाले निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु, ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना की दर से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	चैनेज सहित बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है।	दर जिसपर शुल्क संदेय है अवस्था–I (पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के पूरा होने के बाद) (पैरा 8 के अनुसार)	दर जिसपर शुल्क संदेय है अवस्था–II (चार लेन के पूरा होने के बाद) (पैरा 8 के अनुसार)
8.700 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 109.250 कि.मी.) (चूरू जिले में लसेडी गांव के पास)	रारा–65 के राजगढ़ बाइपास के 15.768 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 101.750 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और 27.368 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 91.100 कि.मी.) पर मिलते हुए	11.600	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
69.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 48.600 कि.मी.) (चूरू जिले में धाधर गांव के पास)	रारा–65 के चूरू बाइपास के 79.468 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 38.950 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और 90.118 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 23.750 कि.मी.) पर मिलते हुए	10.650	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन अपने श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन की श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह ऐसे यांत्रक वाहन से अधिक लदे हुए भार को हटा न दे।

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. दो लेन का बनाने का काम तभी पूरा किया गया माना जाएगा जब पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, जारी कर दिया जाए और तदनुसार, परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को ऐसा पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राजमार्ग परियोजना को बाद में चार लेन का बनाने की क्षमता में वृद्धि करना तभी पूरा कर लिया माना जाएगा जब बाद में चार लेन का बनाए जाने संबंधी या क्षमता वृद्धि के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा और तदनुसार बाद में चार लेन में क्षमता वृद्धि की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) वह तारीख होगी जिस तारीख को ऐसा पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि राजमार्ग परियोजना को दो लेन और चार लेन का बनाए जाने के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीखें और अर्थ अलग–अलग होंगे।

9. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग परियोजना की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और इसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम–5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गए संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. संख्या. भाराराप्रा/13013/751/सीओ/13–14/जीसी–रींगस (0.000–154.141)बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. 988(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 861 (E), dated 01.04.2013, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km. 0.000 to km. 154.141 (Haryana/Rajasthan Border to Salasar Section) of National Highway No. 65 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Salasar Highways Private Ltd. having its registered office at 16th Floor, Tower-A, Building No. 5, Cyber Terrace, DLF Cyber City Gurgaon (Haryana) -122002 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 19.10.2012 for the development of Rajasthan Border-Fatehpur-Salasar section from km. 0.000 to km. 154.141 (hereinafter referred to as the "said section") of the NH-65 in the state of Rajasthan to two lane with paved shoulder with provision of subsequent Capacity Augmentation to four-laning (before the 10th anniversary of the Appointed Date) under NHDP Phase IV through Public Private Partnership on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E), dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950(E), dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E), dated 12th January, 2011 and G.S.R. 1756(E), dated 12th October, 2011, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 (60% and 90% respectively for net road section and bypass for two lane with paved shoulder and 100% and 150% respectively for net road section and bypass after four laning) for net road section length of 131.891 km. for use of two lane with paved shoulder section (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for use of bypasses having an aggregate length of 22.250 km. costing each Bypass Rupees Ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable Stage-I (after completion of two lane with paved shoulder) (as per Para 8)	Rate at which Fee is payable Stage-II (after completion of four laning) (as per Para 8)
Km. 8.700 (design chainage) (Existing chainage km. 109.250) (near Lasedi village in Churu district)	48.400 (excluding length of Rajgarh Bypass)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 69.000 (design chainage) (Existing chainage km. 48.600) (near Dhadhar village in Churu district)	43.219 (excluding length of Churu Bypass)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 144.500 (design chainage) (Existing chainage Missing Link) (near Sobhasar village in Churu district)	40.272	60% of the base rates mentioned in Table-1 above	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Names of Bypass with Chainage	Length of Bypass (in km.) for which additional fee is payable	Rate at which Fee is payable Stage-I (after completion of two lane with paved shoulder) (as per Para 8)	Rate at which Fee is payable Stage-II (after completion of four laning) (as per Para 8)
Km. 8.700 (design chainage) (Existing chainage km. 109.250) (near Lasedi village in Churu district)	Rajgarh Bypass taking off at km. 15.768 (Design chainage) (Existing chainage km. 101.750) and joining at km. 27.368 (Design Chainage) (Existing chainage km. 91.100) of NH-65	11.600	90% of the base rates mentioned in Table-1 above	150% of the base rates mentioned in Table-1 above

Km. 69.000 (design chainage) (Existing chainage km. 48.600) (near Dhadhar village in Churu district)	Churu Bypass taking off at km. 79.468 (Design chainage) (Existing chainage km. 38.950) and joining at km. 90.118 (Design chainage) (Existing chainage km. 23.750) of NH-65	10.650	90% of the base rates mentioned in Table-1 above	150% of the base rates mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Two-Laning shall be deemed to be complete when the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, is issued and accordingly the Commercial Operation Date (COD) of the project shall be the date on which such Completion Certificate or the Provisional Certificate is issued.

It is further clarified that subsequent Capacity Augmentation to Four Laning of the Project Highway will deemed to be completed when the Completion Certificate or the Provisional Certificate for subsequent Capacity Augmentation to Four Laning, is issued and accordingly the Commercial Operation Date (COD) of subsequent Capacity Augmentation to Four Laning shall be the date on which such Completion Certificate or the Provisional Certificate is issued.

For avoidance of doubt, it is clarified that the term COD shall have different dates and meaning for Two Laning and Four Laning of the Project Highway.

9. Based on the Base Rate of Fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/751/CO/ 13-14/GC- Reengus (0.000-154.141) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.